भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1377

गुरूवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक)

श्रम संहिताएं

1377. श्री संदोष कुमार पीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) संसद द्वारा पारित श्रम संहिताओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार विभिन्न मजदूर संघों और राजनीतिक दलों के व्यापक विरोध को ध्यान में रखते हुए श्रम संहिताओं में संशोधन करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की, चारों श्रम संहिताओं को लागू करने की योजना है; और

(ङ) श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): "श्रम" विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और श्रम संहिताओं के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को सौंपी गई है। चारों श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व प्रकाशित किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के तहत क्रमशः 34, 33, 32 और 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने मसौदा नियमों को पूर्व प्रकाशित किया है।

वर्तमान में, उपर्युक्त श्रम संहिताओं में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
